UPMH010012232026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम), महराजगंज,
पीठासीन अधिकारी– (VINOD KUMAR-V) (H.J.S.) UP6290

अन्तिम रिपोर्ट सं0–162 / 2026
कुन्ती देवी––बनाम––नरसिंह निषाद

मु0अ0सं0–51 / 2020
धारा–363,366,506 भा0दं0सं0
व 16 / 17 पॉक्सो ऐक्ट
थाना पनियरा, जनपद महराजगंज

12.08.2026

अन्तिम रिपोर्ट पेश हुई। वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, नोटिस जरिए वारिस तामील है। वादिनी मुकदमा की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वादिनी मुकदमा को पूर्व में कई तिथियों पर अवसर प्रदान किया गया, लेकिन उसकी ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। केस डायरी में विवेचक द्वारा पीड़िता व अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं। पीड़िता ने अपने बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 में कथित घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। शैक्षिक अभिलेख के अवलोकन से पीड़िता घटना के समय बालिग है। मामले में विवेचक द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन पश्चात पीड़िता के विरूद्ध कोई घटना होना न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अन्तिम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही किए जाने का सशक्त आधार मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में मामले को प्रचलित रखा जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–51 / 2020 धारा–363,366,506 भा0दं0सं0 व 16 / 17 पॉक्सो ऐक्ट, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं0–बी 29 / 2020 दिनांक 09.07.2020 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 12.08.2026

(विनोद कुमार–V)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6290
अपर सेशन न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय
(पॉक्सो अधिनियम), महराजगंज।

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2026.08.12 16:17:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court